



प्रेस विज्ञप्ति

21.10.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशाखापत्तनम सब जोनल कार्यालय ने वृद्धावस्था लोगों और अनाथों के लिए आवास के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित 12.51 एकड़ (200 करोड़ रुपये से अधिक के बाजार मूल्य वाले) भूमि के धोखाधड़ी से हस्तांतरण के संबंध में जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 19.10.2024 को विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में पांच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने अरिलोवा पुलिस स्टेशन, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत गड्डे ब्रह्माजी, गन्नामनेनी वैकटेश्वर राव और एमवीवी सत्यनारायण के खिलाफ जाली हस्ताक्षर करने, बिक्री दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने और वरिष्ठ नागरिकों और अनाथों के लिए घरों के निर्माण हेतु आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित 1251 एकड़ भूमि को हड़पने के लिए जबरदस्ती करने के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि विशाखापत्तनम के येंदना गांव में स्थित 12.51 एकड़ की जमीन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 2008 में मेसर्स हयग्रीव फार्म्स एंड डेवलपर्स, विशाखापत्तनम को वृद्ध लोगों और अनाथों के लिए कॉटेज के निर्माण के लिए आवंटित की गई थी। उक्त भूमि वर्ष 2010 में 5.63 करोड़ रुपये (लगभग) के भुगतान पर मेसर्स हयाग्रीव फार्म्स एंड डेवलपर्स के नाम पर पंजीकृत की गई थी। हालांकि, आंध्र प्रदेश पंजीकरण और स्टाम्प विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, हस्तांतरण विलेख की तारीख को उक्त संपत्ति का बाजार मूल्य लगभग 30.25 करोड़ रुपये था। इसके अलावा, जांच से पता चला है कि आरोपी द्वारा उक्त भूमि का स्वामित्व धोखाधड़ी से हासिल करने के बाद, इसे छोटे भूखंडों में विभाजित किया गया था और 2021 से विभिन्न व्यक्तियों को बिक्री और बिक्री विलेख के पंजीकृत समझौतों के माध्यम से अलग कर दिया गया था, जिससे 150 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध की आय उत्पन्न हुई।

आरोपी व्यक्तियों के आवासों और कार्यालय परिसरों में की गई तलाशी के परिणामस्वरूप गन्नामनेनी वैकटेश्वर राव, एमवीवी सत्यनारायण और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित अचल संपत्तियों के 300 से अधिक बिक्री विलेख; अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में 50 करोड़ रुपये से अधिक के नकद लेनदेन आदि के बेनामी पट्टादार पासबुकों के रूप में डिजिटल उपकरणों और अपराध संकेती दस्तावेजों की बरामदगी और जब्ती हुई।

आगे की जांच जारी है।